



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 7—मई 13, 2016 (वैशाख 17, 1938)
No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 7—MAY 13, 2016 (VAISAKHA 17, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 2016

संख्या 12-6/2001-के.हो.प.(पार्ट-II)--होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के साथ पठित धारा 12 क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011 में आगे संशोधन करती है, अर्थात:

- (1) इन विनियमों का नाम नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) संशोधन विनियम, 2016 होगा ।
(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।
- नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2011 में (यहाँ इसके पश्चात् उक्त विनियम के नाम से संदर्भित) में, विनियम 1 में, उप विनियम (1) में, "नये आयुर्विज्ञान महाविद्यालय" शब्दों को "नये होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3 उक्त विनियमों के विनियम 6 में, -

(क) खण्ड (ख) के लिए, निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

“(ख) महाविद्यालय के नाम में अपना अथवा कम से कम तीस वर्षों के लिए पट्टे पर :-

- (i) साठ सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु, कम से कम ढाई एकड़ का एक भूखण्ड ग्रामीण क्षेत्रों में, अथवा कम से कम दो एकड़ का भूखण्ड शहरी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में,
- (ii) साठ सीटों से अधिक किन्तु एक सौ सीटों तक प्रवेश क्षमता हेतु कम से कम दो प्लॉट जिनकी दूरी दो किलोमीटर से अधिक नहीं हों सहित भूखण्ड जिनका माप कम से कम चार एकड़ का ग्रामीण क्षेत्र में अथवा कम से कम तीन एकड़ शहरी तथा पर्वतीय क्षेत्र में हो ।

व्याख्या :- इस खण्ड हेतु भूखण्ड यदि सड़क अथवा नहर अथवा नाला द्वारा अलग किए गये हों किन्तु पुल से जुड़े हों तो उन्हें एक माना जाएगा ।

(ii) खण्ड (ड.) के लिए निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

“(ड.) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथिक महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 के प्रावधानों के आधार पर अपना होम्योपैथिक अस्पताल का प्रबंधन करता हो ।”

(iii) खण्ड (ड.) के पश्चात्, निम्न खण्ड (ड. क) को जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

“(ड.क) यह इस स्थिति में हो कि वह होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 के उपबंधों के आधार पर बुनियादी ढाँचा तथा श्रमशक्ति को चरणबद्ध रूप में स्थापित कर सके”,।

(iv) खण्ड (छ) के लिए, निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

“(छ) यह इस स्थिति में हो कि वह केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के नाम से पाठ्यक्रम की अवधि के समय के लिए एक मान्य अनुसूचित कार्यअनुपालन बैंक प्रत्याभूति निम्न प्रकार से उपलब्ध कर सके :-

(i) 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ महाविद्यालय - रुपये एक करोड़,

(ii) साठ सीटों की प्रवेश क्षमता से अधिक किन्तु एक सौ सीटों तक की प्रवेश क्षमता के साथ महाविद्यालय - रुपये एक करोड़ तथा पचास लाख;

परन्तु यह उन महाविद्यालयों जिनका संचालन राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा किया जाता हो, पर लागू नहीं होगा, यदि वे अपनी योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त पोषण करने के संबंध में शपथ पत्र दें;”।

(ख) उप विनियम (2) में -

(i) खण्ड (घ) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(घ) यह केन्द्रीय परिषद् द्वारा होम्योपैथी में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाने हेतु कम से कम चार वर्ष छः माह एवं तीन वर्ष से क्रमशः मान्यता प्राप्त हो;” ।

(ii) खण्ड (छ) में, “शिक्षक-छात्र अनुपात” शब्दों को “सुपरवाइजर (गाइड)-छात्र अनुपात” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) खण्ड (ज) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(ज) आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के नाम से पाठ्यक्रम की अवधि के समय के लिए एक मान्य अनुसूचित बैंक से कार्यअनुपालन बैंक प्रत्याभूति प्रत्येक विधा में अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं के उपलब्ध कराने के लिए निम्न प्रकार से उपलब्ध कर सके:-

(i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम - रुपये पचास लाख,

(ii) अन्य कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम - रुपये तीस लाख;

परन्तु यह उन महाविद्यालयों जिनका संचालन राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा किया जाता हो, पर लागू नहीं होगा, यदि वे अपने योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त पोषण करने के संबंध में शपथ पत्र दें;" अथवा

(iv) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्न खण्ड (i) को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

(i) यह इस स्थिति में हो कि वह होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1989 तथा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 के उपबंधों के आधार पर बुनियादी ढाँचा तथा श्रमशक्ति को स्थापित कर सके"।

(ग) उप विनियम (3) में,-

(i) खण्ड (घ) में, "साढ़े पांच वर्ष" शब्दों को "साढ़े चार वर्ष" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) खण्ड (च) के लिए निम्न खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(च) सुपरवाइजर(गाइड) तथा छात्रों का अनुपात होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1989 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार रखा जाएगा" ।

(iii) खण्ड (ज) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ज) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली के नाम से पाठ्यक्रम की अवधि के समय के लिए एक मान्य अनुसूचित बैंक से कार्य अनुपालन बैंक प्रत्याभूति प्रत्येक पाठ्यक्रम या विधा के लिए अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए निम्न प्रकार से उपलब्ध कर सके:-

(i)	स्नातक पाठ्यक्रम	साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालय	रुपये पच्चीस लाख
		साठ सीटों से अधिक किन्तु एक सौ छात्रों तक के प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालय	रुपये पचास लाख
(ii)	स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम	प्रति सीट	रुपये पाँच लाख
(iii)	अन्य कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम	प्रति सीट	रुपये दो लाख

परन्तु यह उन महाविद्यालयों जिनका संचालन राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा किया जाता हो, पर लागू नहीं होगा, यदि वे अपनी योजना बजट में नियमित रूप से समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तक वित्त पोषण करने के संबंध में शपथ पत्र दें;" ।

4. उक्त विनियमों के विनियम 8, को पुनः अंकन कर उप विनियम (1) किया जायेगा इस प्रकार पुनः अंकन हुए उप विनियम (1) के पश्चात् निम्न उप विनियम को जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“ (2) जहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी भी कारण से आवेदन को नामंजूर किया जाता है, -

- (क) यदि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को आवेदन अग्रेषित किए बिना, उप- विनियम (1) अंतर्गत प्राप्त शुल्क को लौटा दिया जायेगा;
- (ख) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की संस्तुति पर, उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क को लौटाया नहीं जाएगा, किन्तु आवेदक ऐसी नामंजूरी की तिथि से इस शर्त के साथ कि रुपये पचास हजार का अदेय प्रक्रिया शुल्क का भुगतान कर तीन वर्षों के मध्य प्रत्येक वर्ष में एक बार पुनः आवेदन कर सकता है;”।

5. उक्त विनियमों में, विनियम 9 के लिए निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“9. अनुमति आदेश - (1) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की संस्तुति पर केन्द्रीय सरकार एक नया होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को खोलने के लिए अथवा नये पाठ्यक्रम आरंभ करने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने हेतु ऐसी शर्तों अथवा संशोधनों के साथ जो कि आवश्यक समझे जाए, के साथ आशय का पत्र जारी करेगी ।

(2) नये होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आरंभ करने हेतु आशय पत्र में छात्रों के प्रथम दल के प्रवेश करने से पूर्व, भवन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, आयुर्विज्ञानी तथा संबद्ध उपस्कर, संकाय तथा कर्मचारीवृन्द की आवश्यकताओं जिन्हें पूरा किया जाना है, का विवरण सम्मिलित होगा ।

(3) नये पाठ्यक्रम आरंभ करने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु आशय पत्र में छात्रों के प्रथम दल के प्रवेश करने से पूर्व, भवन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, आयुर्विज्ञानी तथा संबद्ध उपस्कर, संकाय कर्मचारीवृन्द की आवश्यकताओं जिन्हें पूरा किया जाना है तथा वर्तमान स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु अनुमति अथवा सशर्त अनुमति का विवरण सम्मिलित होगा ।

(4) अनुमति पत्र उप विनियम (2) तथा (3) में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन की स्वीकृति के पश्चात् तथा व्यक्ति द्वारा वॉछित राशि की कार्यअनुपालन बैंक प्रत्याभूति देने के पश्चात् तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् ही जारी किया जाएगा ।

(5) औपचारिक अनुमति में होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा अस्पताल की स्थापना तथा विस्तार हेतु समयबद्ध कार्यक्रम सम्मिलित होगा तथा इसमें केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों का वर्णन होगा जिन्हें आवेदक द्वारा अगले वर्षों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व प्राप्त करना होगा, सम्मिलित होंगे ।

(6) एक होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आरंभ करने तथा छात्रों के प्रवेश देने हेतु प्रारंभिक अनुमति एक वर्ष के लिए दी जाएगी तथा वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाँच के पश्चात् प्रति वर्ष नवीनीकरण किया जाएगा । यह आवेदक की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रारंभिक अनुमति की समाप्ति से छः माह पूर्व केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को नवीकरण हेतु आवेदन करे ।

(7) उप-विनियम (6) में उल्लेखित प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापना तथा अस्पताल के विस्तार का काम पूरा कर ले तथा होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को औपचारिक मान्यता दी जाए ।

परन्तु किसी भी स्तर पर प्रवेश तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक कि केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न कर लिया जाए ।

(8) केन्द्रीय सरकार किसी भी स्तर पर आवेदक को कमियों को सूचित कर सकती है तथा उन कमियों को दूर करने हेतु एक अवसर एवं समय प्रदान कर सकती है ।

(9) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना मंगा सकती है जैसी इसे जरूरी लगे या आवश्यक हों ।”।

6. उक्त विनियमों में, प्रपत्र-1 में, क्र सं 23 में, उप क्रम संख्या (ख) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(ख) शैय्याओं का बंटवारा, शय्याओं का अधिभोग तथा क्या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 में निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन किया गया” ।

7. उक्त विनियमों में प्रपत्र- 6 में, -

(क) पैरा 2 के लिए, निम्न पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“ 2. निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य संबंधित कागजातों को परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सम्मुख इसकी बैठक में दिनांक को रखा गया था । प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी समिति ने योजना को स्वीकार कर आशय का पत्र जारी करने हेतु अथवा अस्वीकार करने की संस्तुति करने का निर्णय लिया ”।

(ख) पैरा 3 में, उप पैरा (iii) के लिए, निम्न उप पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

“(iii) कि आवेदक के पास विद्यमान अस्पताल के उन्नयन हेतु अतिरिक्त शैय्या उपलब्ध कराने तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं जैसा कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित किया गया हों, के संबंध में चरणबद्ध विस्तार कार्यक्रम है जो कि संयुक्त रूप से प्रस्तावित महाविद्यालय को अनुमति दिए जाने की दिनांक से चार वर्षों में, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 में निर्दिष्ट शैय्याओं या अन्य शर्तों को पूर्ण करेगा” ।

ह./- अपठनीय
सचिव

नोट : मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग- III, खण्ड 4 दिनांक 14 अक्टूबर, 2011 में प्रकाशित किया गया ।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi, the 2016

F.No 12-6/2001-C.C.H.(Pt. – II) — In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 12A of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Establishment of New Medical College (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Regulations, 2011, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Establishment of New Medical College (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Amendments Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Establishment of New Medical College (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Regulations, 2011. (hereinafter referred to as the said Regulations), in regulation 1, in sub-regulation (1), for the words “New Medical College”, the words “New Homoeopathy Medical College” shall be substituted.

3. In regulation 6 of the said Regulations,—]

(a) in sub-regulation (1),—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) owns or possesses on lease, in the name of the college for a period of not less than thirty years,—

(i) in the case of intake capacity upto sixty seats, a single plot of land measuring not less than two and half acres in rural areas, or two acres in urban and hilly areas;

(ii) in the case of intake capacity exceeding sixty seats but not exceeding one hundred seats, the land measuring not less than four acres in rural areas, or not less than three acres in urban and hilly areas, comprising of not more than two plots at a distance not exceeding two kilometres;

Explanation.— For the purposes of this clause, a plot, if separated by road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one plot.”;

(ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

“(e) owns and manages a homoeopathic hospital in accordance with the provisions of the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013;”;

(iii) after clause (e), the following clause (ea) shall be inserted, namely:-

“(ea) is in a position to establish infrastructure and manpower in phased manner in accordance with the provisions of the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013;”;

(iv) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) is in a position to provide performance bank guarantee from a Scheduled Bank valid for a period equivalent to the duration of the course in favour of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi as follows:-

(i) College with capacity upto 60 seats - rupees one crore;

(ii) College with capacity exceeding sixty seats but not exceeding one hundred seats – rupees one crore and fifty lakhs:

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union Territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them;”.

(b) in sub-regulation (2),—

(i) for clause (d), following clause shall be substituted, namely:-

“(d) is recognised by the Central Council for running Undergraduate or Postgraduate degree course in Homoeopathy for at least four years six months and three years respectively”.

(ii) in clause (g), for the words “teacher-student ratio”, the words “Supervisor (Guide) - student ratio” shall be substituted;

(iii) for clause (h), following clause shall be substituted, namely:-

“(h) the medical college provides an undertaking to furnish a bank guarantee in favour of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, from a Scheduled Bank for a period equivalent to the duration of the course for providing additional infrastructural facilities for each discipline as follows:-

- (i) Post Graduate course - rupees fifty lakhs;
- (ii) Any other recognized course - rupees thirty lakhs.

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union Territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them;” or ;

(iv) after the clause (h), following clause (i) shall be inserted, namely:-

“(i) it is in a position to establish infrastructure and manpower in accordance with the provisions of the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) Regulations, 1989 and the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013.”.

(c) in sub-regulation (3),—

- (i) in clause (d), for the words “five and half year”, the words “four and half year” shall be substituted;
- (ii) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) the ratio of supervisor (Guide) and students is maintained as laid down in the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) Regulations, 1989”.

(iii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-

“(h) provide an undertaking to furnish a bank guarantee in favour of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, from a Scheduled Bank for a period equivalent to the duration of the course for providing additional infrastructural facilities for each course or discipline as follows:-

(i)	Undergraduate course	College with the capacity upto sixty seats	rupees twenty five lakhs
		College with the capacity exceeding sixty seats but not exceeding one hundred seats	rupees Fifty lakhs
(ii)	Post Graduate Degree	Per seat	rupees five lakhs
(iii)	any other recognised course	Per seat	rupees two lakhs

Provided that it shall not apply to the colleges governed by the State Government or Union Territory Administration, if they give an undertaking to provide funds in their Plan Budget regularly till the requisite facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.”.

4. Regulation 8 of the said Regulations, shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(2) Where the application is rejected by the Central Government for any reason,—

- (a) without referring the application to the Central Council of Homoeopathy, the fees paid under sub-regulation (1) shall be returned to the applicant;
- (b) on the recommendation of the Central Council of Homoeopathy, the fees paid under sub-regulation (1) shall not be returned, but the applicant may re-submit the application once in each year within a period of three years from the date of such rejection subject to the payment of a non-refundable processing fee of rupees fifty thousand for each such application.”.

5. In the said Regulations, for regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely:-

“9. Permission Order.— (1) The Central Government on the recommendation of the Central Council of Homoeopathy shall issue a letter of Intent to set up a new Homoeopathic medical college or open new course or increase intake capacity with such conditions or modifications as may be considered necessary.

- (2) The Letter of Intent to set up a new Homoeopathic medical college shall include a statement of requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty and staff before admitting the first batch of students.
- (3) The Letter of Intent to open new course or increase intake capacity shall include a statement of requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, medical and allied equipment, faculty staff and obtaining the permission or conditional permission for existing undergraduate or post graduate course.
- (4) The Letter of permission shall be issued on compliance of the conditions referred to in sub-regulations (2) and (3) are accepted and the performance bank guarantees for the required amount is furnished by the person and after receiving the recommendations of the Central Council of Homoeopathy.
- (5) The formal permission shall include a time bound programme for the establishment and expansion of the homoeopathic medical college and the hospital facilities and it shall also define annual targets as may be fixed by the Central Council of Homoeopathy to be achieved by the person commensurate with the intake of students during the following years.
- (6) The permission to establish a homoeopathic medical college and admit students shall be granted initially for a period of one year and shall be renewed on yearly basis subject to verification of the achievements of annual targets and it shall be the responsibility of the person to apply to the Central Council of Homoeopathy for the renewal six months prior to the expiry of the initial permission.
- (7) This process of renewal referred to in sub-regulation (6) shall continue till such time the establishment of the homoeopathic medical college and expansion of the hospital facilities are completed and a formal recognition of the homoeopathic medical college is granted:

Provided that the admissions shall not be made at any stage unless the requirements of the Central Council of Homoeopathy are fulfilled.

- (8) The Central Government may at any stage convey the deficiencies to the applicant and provide him an opportunity and time to rectify the deficiencies.
- (9) The Central Council of Homoeopathy may obtain any other information from the proposed medical college as it deems fit and necessary.”.

6. In the said Regulations, in Form-1, in serial number 23, for sub-serial numbers (b), the following shall be substituted, namely:-

“(b) bed distribution, bed occupancy and whether the norms specified in Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013 would be fulfilled.”.

7. In the said Regulations, in Form-6,—

- (a) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

“2. The inspection report and all other related papers were placed before the Executive Committee of the Council in its meeting held on _____. On careful consideration of the proposal, the Executive Committee decided to recommend for approval or disapproval of the Scheme for issue of Letter of Intent or permission.”;

- (b) in paragraph 3, for sub-paragraph (iii), following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(iii) that the applicant has a feasible and time bound expansion programme to provide additional beds and infrastructure facilities as specified by the Central Council, by way of up-gradation of the existing Hospital so as to collectively provide the specified bed complement within a period of four years from the date of grant of permission to set up the proposed College and any other conditions as specified in the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013.”.

Sd/- ILLEGIBLE
Secretary

Note:—The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, in the Part-III, Section 4 dated the 14th October, 2011.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in